भारत INDIA
दस रुपये
TEN RUPEES

(54)

न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र उज्जैन

प्रकरण क्रमांक :99-2000 अपील नि. 694-III/2000

प्रार्थी/अभिभाषक श्री दिनेश व्यास
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 17-1-2000
प्रथम श्रेणी
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन संभाग

1- बाबूलाल पिता पुनमचन्द सुनार
निवासी ग्राम नांदनी तहसील कालापीपल -
परगना शुजालपुर जिला शाजापुर
-----~~अपीलान्ट~~ आवेदक

विरूद्ध

1-मोतीलाल पिता गट्टुलालजी सोनी
2- रामचरण पिता पुनमचन्दजी सोनी
3- रामगोपाल पिता पुनमचन्दजी सोनी
4- रामप्रसाद पिता पुनमचन्दजी सोनी
समस्त निवासीगण ग्राम नांदनी तहसील
कालापीपल परगना शुजालपुर जिला -
शाजापुर ।म0प्र0 ।
5- मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम नांदनी
तहसील कालापीपल परगना शुजालपुर जिला
शाजापुर ।म0प्र0 । ---~~रिस्पान्डेन्टस~~ अनावेदकगण

आदेशिका दिनांक:- 27-3-2000
अनुसार यह निगरानी सक्षम न्यायालय
में पेश करने हेतु आवेदक के अभिभाषक
को वापस की जाती है ।

अपर आयुक्त,
उज्जैन संभाग, उज्जैन

97/19-1-2000

अपील अन्तर्गत धारा 50 म0राजस्व संहिता

2/5/2000

माननीय महोदय,

आवेदक ~~अपीलान्ट~~ अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय शुजालपुर के आदेश दिनांक 18-11-99 प्रकरण क्रमांक 121:97-98 अपील से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निम्नकारणो के आधार पर निगरानी ~~अपील~~ अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 694-दो/2000

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	1/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 121/97-98/अपील में पारित आदेश दि. 18.11.1999 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि बाहर आवेदन का अन्दर विधि मानकर धारा 115 के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश देने में देने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है। यह भी कहा गया कि जहां पर दो पक्षकारों के मध्य विवाद है, वहां पर तहसीलदार या राजस्व अधिकारी को धारा 115 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि निश्चित रूप से राजस्व अभिलेख में अशुद्धि संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र अशुद्ध इन्द्राज के दिनांक से एक वर्ष की गणना अशुद्ध इन्द्राज की जानकारी के दिनांक से भी की जा सकती है। 4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये। 5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये आवेदक का आवेदन पत्र अवधि बाधित मानने में त्रुटि दर्शाते हुए आदेश पारित किया है। यदि जांच में उक्त आवेदन पत्र अवधि में पेश नहीं किया जाना प्रमाणित भी हो जाता है, तब भी तहसीलदार को त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी हो जाने के कारण धारा 115 के अधीन स्वप्रेरणा से कार्यवाही करनी चाहिए, जिसमें समयसीमा की बाधा नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने जांच के उपरांत ही कार्यवाही करने को कहा है, क्योंकि अभिलेखों में प्रविष्टियों की न्यायहित में जांच होना उचित है। इसके प्रथम दृष्टया कारण यथा व्यवहारवाद का निर्णय आदि भी है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.1999 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। **अध्यक्ष**	